

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7]

नई दिल्ली, सोनवार, जनवरी 3, 1972/पौष 13, 1893

No. 7]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY '3, 1972/PAUSA, 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 3rd January 1972,

DEPARTMENT OF

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts all excisable goods donated for the welfare of the defence personnel from the whole of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon:

Provided that—

- (a) it is certified by the producer or manufacturer of the goods or the owner or keeper of the warehouse in which such goods are deposited, on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the welfare of the defence personnel without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them and distributed among or utilised for the welfare of the defence personnel without making any charge therefore;

- (b) the goods are sent direct from the place of production, factory of manufacture, or, as the case may be, from the warehouse to—
 (i) the National Defence Fund; or
 (ii) Citizens' Central Council; or
 (iii) the Ministry of Defence; or
 (iv) the Government of any State or Union territory or any authority nominated by such government to receive such donations; and
 (c) the producer, manufacturer, owner or keeper of the warehouse produces before the proper Central Excise Officer within two months of the date of removal of the goods from the place of production or factory, or as the case may be, from the warehouse, or within such extended period as the Collector of Central Excise may in any case, allow a certificate from any of the agencies mentioned in clause (b) that the goods have been received by that agency for the purpose for which the donation was made.

[No. 5/72]

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

(नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972)

सा० का० नि० 9(अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल), अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रक्षा-कार्मिकों के कल्याण हेतु दान में दिए गए सभी उत्पाद-शुल्क-योग्य माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से एतद्वारा छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि—

- (क) माल के उत्पादक या विनिर्माता या ऐसे भाण्डागार, जिसमें ऐसे माल निक्षिप्त किए जाते हैं, के स्वामी या अध्यक्ष द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाए कि माल धर्म, मूलवंश या जाति या उनमें से किसी के आधार पर विभेद किए बिना रक्षा कार्मिकों के कल्याण हेतु दान किए जाने के लिए और उसके लिए बिना किसी प्रभार के रक्षा-कार्मिकों में वितरित किए जाने के लिए या उनके कल्याण हेतु उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं ;
- (ख) माल, यथास्थिति, उत्पादन के स्थान, विनिर्माण के कारखाने या भाण्डागार से,—
 (1) राष्ट्रीय रक्षा निधि ; या
 (2) नागरिक केन्द्रीय परिषद् ; या
 (3) रक्षा मंत्रालय ; या
 (4) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार या ऐसी सरकार, द्वारा ऐसे दान प्राप्त करने के लिए नामनिर्देशित किसी प्राधिकारी ;

को सीधे भेजे जाने हैं ; और

- (ग) उत्पादक, विनिर्माता, भाण्डागार के स्वामी या अध्यक्ष, खण्ड (ख) में वर्णित अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण से कोई ऐसा प्रमाण-पत्र, कि माल उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए दान किया गया था, उस अभिकरण द्वारा प्राप्त कर लिए गए

ये, यथास्थिति, उत्पादन के स्थान या कारखाने या भाण्डागार से माल हटाने की तारीख से दो मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जिसे कलक्टर किसी मामले में अनुज्ञात कर, उपयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है।

[सं० 5/72]

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, (58 of 1957), the Central Government hereby exempts all excisable goods donated to the National Defence Fund or to the Ministry of Defence from the whole of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon:

Provided that—

- (a) it is certified by the producer or manufacturer of the goods, or the owner or keeper of the warehouse in which such goods are deposited, on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated to the National Defence Fund or the Ministry of Defence;
- (b) the goods are sent direct from the place of production, factory or manufacture, or as the case may be, from the warehouse to—
 - (i) the National Defence Fund; or
 - (ii) the Ministry of Defence.
- (c) the producer, manufacturer owner or keeper, produces before the proper Central Excise Officer within two months of the date of removal of the goods from the place of production or factory or, as the case may be, from the warehouse, or within such extended period as the Collector may in any case allow, a certificate from either of the two agencies mentioned in clause (b) that the goods have been received by that agency.

[No. 6/72.]

R. B. SINHA, Dy. Secy.

सा०का०नि० 10 (अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल), अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा 7 : 8 के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय रक्षा निधि में या रक्षा मंत्रालय को दान में दिए गए सभी उत्पाद शुल्क योग्य माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से एतद्वारा छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि—

- (क) माल के उत्पादक या विनिर्माता, या ऐसे भाण्डागार जिसमें ऐसे माल निक्षिप्त किए जाते हैं, के स्वामी या अध्यक्ष द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाए कि माल राष्ट्रीय रक्षा निधि या रक्षा मंत्रालय को दान किए जाने के लिए आशयित है ;

(ख) माल, यथास्थिति, उत्पादन के स्थान, विनिर्माण के कारखाने या भण्डागार से,—

1) राष्ट्रीय रक्षा निधि ; या

2) रक्षा मंत्रालय ;

को सीधे भेजे जाने हैं ; या और

(ग) उत्पादक, विनिर्माता, स्वामी या अध्यक्ष, खण्ड (ख) में वर्णित दो अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण से कोई ऐसा प्रमाण-पत्र, कि माल उस अभिकरण द्वारा प्राप्त कर लिए गए थे, यथास्थिति, उत्पादन के स्थान या कारखाने या भण्डागार से माल के हटाने की तारीख से दो मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जिसे कलक्टर किसी मामले में अनुज्ञात करे, उपयुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है।

[सं० 6/72]

आर० बी सिन्हा, उप-सचिव।